तमिलनाडु राज्य

बनाम

जे. जयललीथा

9 मई, 2000

[के.टी.थॉमस और आर.सी.लाहोटी, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227, 239 और 245-आरोपमुक्त-अभियुक्त कोयला आयात करने के लिए कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ। नौकरशाही, केंद्र सरकार और अन्य उच्च अधिकारियों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद आयात किया गया विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया, आरोपी के रूप में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोप तय करने के लिए अपर्याप्त पाई गई। उच्च न्यायालय ने अपील कर आरोपमुक्त करने के आदेश को बरकरार रखा, माना कि इस समय से पहले यह तय नहीं किया जा सकता है कि आरोपी गंभीर प्रभावों से अनजान था, जो उसके संज्ञान में लाए गए थे-अभ्यास पर यह चरण पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने तक ही सीमित होना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोप निराधार हैं या क्या अपराध के खंडन योग्य अनुमान लगाया जा सकता है-आरोपमुक्त करने का आदेश दरकिनार कर दिया गया है और मुकदमा जारी रखा गया है-दंड

संहिता, 1860-धारा 120-बी और धारा409 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-धारा 13(2)।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 10-तथ्य की प्रासंगिकता-न्यायालय के पास साजिश में अभियुक्त की भागीदारी पर विश्वास करने के लिए सामग्री होनी चाहिए और केवल तभी अभियुक्त द्वारा जो कुछ भी कहा गया, किया गया या लिखा गया, वह प्रासंगिक सामग्री होगा आरोप तय करने से पहले चरण में भी आरोपी की साजिश में भीगीदारी पर विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार है या नहीं।

प्रतिवादी, एक पूर्व मुख्यमंत्री, पर 10 अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोयला आयात करने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ। सरकारी सचिव (पीडब्ल्यूडी) ने उक्त आयात के संबंध निविदा की स्वीकृति के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिनवे प्रतिवादी तक नहीं पहुंच सके क्योंकि संबंधित पृष्ठों को फाइल से हटा दिया गया था। केंद्रीय कोयला मंत्री और कई अन्य उच्च अधिकारियों ने भी इस आयात को हतोत्साहित किया क्योंकि यह न तो जरूरी था और न ही गुणात्मक, लेकिन इन सबके बावजूद, सौदा किया गया था।

विशेष न्यायाधीश ने प्रतिवादी को आरोपमुक्त कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर दिखाई गई सामग्री आरोप तय करने के लिए अपर्याप्त थी। पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सामग्री और परिस्थितियाँ प्रतिवादी के अपराध को उजागर करने के लिए पर्याप्त थी, ऐसी साजिश भी प्रतिवादी की प्रत्यक्ष, सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी के बिना नहीं रची जा सकती थी; कि सरकारी सचिव, केंद्रीय कोयला मंत्री और कई अन्य उच्च अधिकारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बावजूद यह सौदा किया गया था; और यह असंभव था कि ऐसी सामग्री उसके ध्यान से बच सकती थी।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसे साजिश से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था; कि प्रतिकूल टिप्पणियों वाली शीट फाइल से गायब थी और वह खुद अंधेरे में थी; और नौकरशाही में विभागीय प्रमुखों और उच्च अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और सिफारिशों पर कार्यवाही की गई थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया।

1. किसी के द्वारा कही गई, लिखी गई, किसी भी बात का उपयोग करने का सवाल ऐसे षडयंत्रकारियों में से कोई तभी उठाता है जब तथ्य

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10 के पहले अंग को बनाये रखने में मदद करेंगे, अर्थात यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर एक साथ अपराध करने की साजिश रची है। जब तक कि अदालत के पास यह विश्वास करने के लिए कुछ सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी धारा के पहले अंग में संदर्भित व्यक्तियों में से एक है, तक तक जो कहा गया, किया गया या लिखा गया था, उस पर विचार करना प्रत्येक साजिशकर्ता के खिलाफ प्रासंगिक तथ्य नहीं होगा। इस स्तर पर भी अदालत के लिए यह तय करने के उददेश्यों से अभियुक्तों के बीच सामान्य इरादे के संदर्भ में कही गई, की गई और लिखी गई बातों से संबंधित सामग्री पर विचार करने के लिए खुली है कि क्या यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उक्त अभियुक्त साजिशकर्ताओं में से एक होगा। [30 - डी-ई]

राज्य बनाम नलिनी, [1999] 5 एस.सी.सी. 253, पर निर्भर

2. यह इंगित करना उचित है कि सभी सामग्रियों को उस फाइल में शामिल किया गया था जिसे प्रतिवादी को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि जब उसने इसकी जांच की तो वे उस फाइल में नहीं थे और न ही यह किसी के लिए मामला है कि उन चेतावनियों को केवल लापता पत्रकों में शामिल किया गया था। यदि उसे इन त्वरित चेतावनियों के बारे में पता चला और उसके बावजूद उसने

कोयला आयात करने के लिए के लिए हरी झंडी दे दी, तो इस समय से पहले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह राज्य के गुप्त सरकारी खजाने के गंभीर प्रभावों से अवगत नहीं थी। [34-डी]

3. यह न तो सामग्री के फायदे और सह-निहितार्थों को तौलने का चरण है और न ही अभियोजन पक्ष से पहले प्रस्तुत सामग्री की छांटने का। इस स्तर पर यह अभ्यास पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने तक सीमित होना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि क्या अभियुक्तों के खिलाफ लगाये गये आरोप "निराधार" हैं या क्या "यह मानने के लिए कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया हैं। यह अनुमान अभियुक्त द्वारा खंडन योग्य है जिसके लिए मुकदमे में भाग लेने का अवसर होना चाहिए। [35-एच; 36-ए-बी]

4. न्यायालय को समयपूर्व ही इस पर प्रतिवादी को आरोपमुक्त नहीं करना चाहिए था। विशेष न्यायाधीश मामले में अभियुक्तों में से एक के रूप में उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा, हालांकि, वह निचली अदालत में अपनी उपस्थिति को समाप्त करने की अनुमति ले सकती है, बशर्ते कि वह शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हो (i) जब भी मामला उठाया जाएगा एक अधिवक्ता उसका प्रतिनिधित्व करेगा; (ii) वह मामले में विशेष आरोपी के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगी और (iii) वह किसी भी दिन उपस्थित होगी जब अदालत द्वारा उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी।

इन शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर विशेष न्यायाधीश उपरोक्त लाभों को रद्द कर सकता है। [36-जी-एच; 37-ए]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 452/2000 से।

मद्रास उच्च न्यायालय के सीआरएल आर.सी.सं. 575 सन 1999 निर्णय और आदेश दिनांक 13.1.2000 से।

शांति भूषण, वी.आर. रेड्डी, अनिल बी.दीवान, आर.मोहन, आर.शुनमुघसुंदरम और वी.जी. प्रगसम, अपीलार्थी के लिए

सुशील कुमार, के. वी. विश्वनाथन, एन.ज्योति, संजय जैन, कुंवर अजीत मोहन सिंह, आर. पी.वाधवानी और के.वी.वेंकटरमन, प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय जस्टिस थॉमस द्वारा सुनाया गया।

अनुमति मंजूर।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जे.जयललीता को 10 अन्य लोगों के साथ चेन्नई की एक विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष पेश किया गया था जिसमें उन्हें भारी आर्थिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि को हड़पने के लिए एक समूह के केंद्र के रूप में चित्रित किया गया था। आरोप तय करने के चरण में एक विशेष न्यायाधीश ने महसूस

किया कि उन्हें दिखाई गई सामग्री उनके खिलाफ और उनके पूर्व मंत्रिमंडल के सहयोगी (वी.आर. नेदुनचेझियन) के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए उन्हें विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया, लेकिन अन्य नौ अभियुक्तों के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग और अन्य संबंधित आपराधिक साजिश रचने के लिए आरोप तय किया गया। तमिलनाडु राज्य ने आरोपमुक्त करने के उपरोक्त आदेश को पुनरीक्षण में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, लेकिन एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। इस बीच वी. आर. नेदुनचेझियान का निधन हो गया है। यह अपील सुश्री जयललीता (प्रतिवादी) के खिलाफ उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य द्वारा की गई है।

पुलिस मामले का सार यह है कि फरवरी 1992 और अक्टूबर 1993 के बीच की अवधि के दौरान उपरोक्त सभी 11 अभियुक्तों और कुछ विदेशी कोयला आपूर्तिकर्ताओं ने तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (इसके बाद 'विद्युत बोर्ड' के रूप में संदर्भित) के लिए कोयला आयात करने की आपराधिक साजिश रची थी। ऐसी कीमत जो राज्य को लगभग साढ़े छह करोड़ रुपये का भारी और गलत नुकसान पहुंचाकर स्वयं को भारी आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।

तमिलनाडु में तीन ताप विद्युत केंद्र हैं (एन्नोर, मेट्टूर और तूतीकोरिन में) जो कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग करके बिजली पैदा

करते हैं। उन तीन स्टेशनों के लिए कोयले की वार्षिक आवश्यकता लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन थी। चूंकि मार्च 1992 में कोयले के भंडार की स्थिति, आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त दिखाई दी, इसलिए विदेशों से कम से कम दो मीट्रिक टन कोयला आयात करने का निर्णय लिया गया। आरोप है कि भारी आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश के अनुसार ऐसा निर्णय लिया गया था। निर्णय के अनुसार, कोयले के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की गईं। दिनांक 10.3.1993 को निविदाएं खोली गईं, लेकिन उनमें से केवल 11 ही सही पाई गई। हालांकि, उन बोलीदाताओं को आकार, राख की मात्रा और अस्थिर पदार्थ जैसे तीन मापदंड जोड़ने के बाद मूल्य बोली को संशोधित करने के लिए कहा गया था। आरोप के अनुसार, इंडोनेशिया के कुछ कोयला आपूर्तिकर्ताओं के प्रति पक्षपात दिखाकर उच्च मूल्य पर घटिया गुणवत्ता वाले कोयले के आयात को सुविधाजनक बनाने का विचार था।

सरकारी सचिव (पीडब्ल्यूडी) ने उक्त निविदाएं स्वीकार किये जाने पर कडी आपत्ति जताई। सिंगापुर स्थित एक कंपनी (मेसर्स. काउंटर कॉर्पोरेशन) ने 35.24 अमेरिकी डॉलर की दर पर 6 लाख मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उनके साथ बातचीत शुरू किए बिना ही इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन बिजली बोर्ड ने कोयले की कीमत

40.20 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय की और तीन इंडोनेशियाई बोलीदाताओं को उस कीमत पर कोयले की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई। इसके बाद एम/एस काउंटर कॉर्पोरेशन (सिंगापुर) को 40.20 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की बढ़ी हुई कीमत पर कोयले की आपूर्ति करने के लिए कहा गया था।

सभी अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराध धारा 409 के साथ पढी जाने वाली धारा 120-बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) है।

जिस बात ने विशेष न्यायाधीश को यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया कि उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री प्रतिवादी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अपर्याप्त थी। संक्षेप में निम्नलिखित हैंः

इतनी अधिक कीमत पर कोयले के आयात के प्रस्ताव के खिलाफ सरकारी सचिव (श्री वी. सुंदरम) द्वारा उठाई गई कड़ी आपत्ति प्रतिवादी के संज्ञान तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान फाईल में कुछ महत्वपूर्ण शीट हटा दी गई थी और एेसी शीट बाद में मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जोडी गई। विशेष न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणीयां की है-

"यह ज्ञात नहीं है कि कैसे और कहाँ और किस समय पृष्ठ 223 से 226 और पृष्ठ 21 से 32 को भी सचिवालय फाईल (संख्या 55360/U2/93) से हटा दिया गया था। यह केवल फाईल का हिस्सा है। इसमें सुंदरम द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ शामिल हैं। पैरा 21 से 32 में आपत्तियाँ पृष्ठ 223 से 246 में पहले से ही उठाई गई आपत्तियों पर आधारित हैं मैंने यह पता लगाने के लिए कि मेरे सामने रखी गई सामग्रीयों को ध्यान से देखा है कि क्या यह दिखाने के लिए कुछ है कि फाईल बरकरार है। सुंदरम की आपत्तियों वालें पृष्ठों के साथ जब फाईल ए11 और ए1 की तालिका तक पहुँच गई और सुंदरम की आपत्तियों वाले पृष्ठों 223 से 246 और पृष्ठ 21 से 32 को संक्षिप्तता के लिए लापता पृष्ठ कहा जा सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह नहीं पता चलता है कि लापता पृष्ठों को कैसे, कब और कहाँ हटा दिया गया और गुप्त कर दिया गया।"

विशेष न्यायाधीश ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की हैः

"यदि लापता पृष्ठों के बिना वर्तमान स्थिति में फ़ाइल ए1 और ए11 सभी को प्रस्तुत की गई थी तो वे पृष्ठों को हटाने और गड़बड़ी का संदेह करने की स्थिति में नहीं होंगे। यदि

लापता पृष्ठों को 11 वें व पहले आरोपी को भेजने से पहले या तो दूसरे या तीसरे आरोपी द्वारा हटा दिया गया था तो 11 वें और पहले आरोपी के लिए सुन्दरम की आपत्ति पर ध्यान देना का कोई अवसर नहीं रहा होगा।"

मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उक्त की पुष्टि करते हुए आदेश में कहा है कि प्रतिवादी के खिलाफ पूरा मामला श्री वी. सुंदरम का वक्तव्य और श्री वेंकटरमण, तत्कालीन मुख्य सचिव (जिन्हें आरोप पत्र में तीसरे आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके खिलाफ निचली अदालत ने आरोप तय किया है) के एक अन्य वक्तव्य पर आधारित है। बाद वाला बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (संक्षेप में 'कोड') के तहत दर्ज किया गया था। वर्तमान फाइल में वी. सुंदरम द्वारा रखी गई आपत्तियों के बारे में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा कि उस फाइल के पृष्ठ संख्या 225 से 245 एक विशेष समय पर गायब थे और वी.सुन्दरम द्वारा रखी गई आपत्तियां उन शीटों पर थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अनुसार जब यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी जयललिता के आदेश पर उन शीटों को हटा दिया गया था तो यह माना जाना चाहिए कि उन्हें उन आपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ा था, प्रतिवादी जयललीता के आदेश पर उन पृष्ठों को गुप्त रूप से हटाये जाने की संभावना पर विचार करते हुए एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा हैः

"केवल कल्पना को अनुमान नहीं कहा जा सकता है। अभिलेख पर साक्ष्य ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दिखाने के लिए कि फाइल पहले अभियुक्त के पास गई थी और उसने उन पृष्ठों को उस समय हटाने का आदेश दिया जब उसने उक्त फाइल पर हस्ताक्षर किए। जब फाइल गवाह सुंदरम से भेजी गई थी वे पृष्ठ फाइल में पाए गए थे और उसके बाद यह कई अधिकारियों और लोक निर्माण मंत्री के पास गई जो इस मामले में दूसरा अभियुक्त है और उनसे उक्त,फाइल ए-11 और अंत में ए-1 के पास गई है। फाईल में वे पृष्ठ होने का तथ्य और उसके बाद उन पृष्ठों के गायब होने का तथ्य जब फाइल एक बार आरोपी के हस्ताक्षर के बाद उसके पास पहुंची और उन गायब पृष्ठों को एक साथ इसक्की मुथु नामक एक व्यक्ति द्वारा फाइल डालने का तथ्य गवाह सुंदरम से बात की गई। हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बीच में क्या हुआ था।''

इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए तीसरे आरोपी वेंकटरमण के बयान पर विचार किया और पाया गया कि आरोप तय करने के बाद उक्त सामग्री को बाद में कानूनी साक्ष्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

हम, शुरुआत में, यह इंगित कर सकते हैं कि दो कारणों से तीसरे आरोपी वेंकटरमन के हवाले से दिये गये उक्त बयान का कोई उपयोग नहीं है। पहला यह है कि बयान के उक्त लेखक को पहले ही मामले में आरोपित किया जा चुका है और उसके खिलाफ आरोप तय किया जा चुका है। दूसरा कथन को पढ़ने पर हमने देखा है कि यह क्षमा करने योग्य है। इसलिए उक्त कथन केवल प्रस्तुत किया जा सकता है और कोई भी अदालत संभवतः इसे सबूत के रूप में नहीं मान सकती है।

प्रतिवादी जयललीता की ओर से तर्क देने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुशील कुमार ने तर्क दिया कि यदि उक्त बयान को दरकिनार रखा जाना है तो प्रतिवादी को कथित आपराधिक साजिश से जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस बात का संकेत देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी को फाइल में वी.सुंदरम द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में कभी पता चला था क्योंकि वे नोट उन पत्रकों पर थे जो वर्तमान फाइल से गायब थे। यदि ऐसा है, तो विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, प्रतिवादी केवल नोट में विभागीय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों और नौकरशाही में उच्च अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों पर ही कार्य कर सकता था। श्री सुशील कुमार के अनुसार एेसी परिस्थितियों में कार्यपालिका का कोई प्रमुख आपराधिक साजिश के किसी भी आरोप का जवाब देने के लिए नहीं कर सकता है।

दूसरी ओर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने हमारे समक्ष कई सामग्री और परिस्थितियाँ प्रस्तुत कीं, जो उनके अनुसार, उत्तरदाता के अपराध को घर लाने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह प्रतिवादी पर है कि वह मुकदमे में भाग लेकर उन परिस्थितियों का विरोध करे और अपना बचाव करे और यदि वह उस प्रयास में विफल रहती है तो वह अपराधों के अपरिहार्य परिणाम होने की सजा में समाप्त हो जाएगी। उस आधार पर विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आरोपमुक्त करने के आदेश पर हमला किया और विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई गलती को ठीक नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर जोरदार हमला किया।

इस स्तर पर हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि प्रासंगिक अवधि के दौरान 20 लाख मीट्रिक टन कोयले के आयात के संबंध में आपराधिक साजिश रची गई थी। इस तरह के आधार को अपनाया जा सकता है क्योंकि विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अन्य नौ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया है, यह मानते हुए कि ऐसी साजिश थी और उन नौ अभियुक्तों ने खुद को साजिशकर्ताओं के रूप में शामिल किया है। इसलिए अब एकमात्र सवाल जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या इस स्तर पर इस तरह की धारणा को प्रतिवादी जयललीता के प्रति भी बढ़ाया जा सकता है।

साक्ष्य अधिनियम का अध्याय II-"तथ्यों की प्रासंगिकता" से संबंधित है। आपराधिक साजिश से संबंधित साक्ष्य से निपटने के लिए उस अध्याय में एक विशेष प्रावधान धारा 10 शामिल किया गया है। इस स्तर पर इस खंड पर नजर डालना उपयोगी है। इसलिए, अब हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 का उल्लेख कर सकते हैं,

> "10. सामान्य डिजाइन के संदर्भ में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें - जहाँ यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक साथ किसी अपराध या कार्रवाई योग्य गलत को करने की साजिश रची है, कुछ भी कही, की गई या लिखी गई कोई भी बात ऐसे व्यक्तियों को उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में, उस समय के बाद जब उनमें से किसी एक द्वारा इस तरह के इरादे पर पहली बार विचार किया गया था, इस तरह की साजिश रचने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ एक प्रासंगिक तथ्य है। माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना षड्यंत्रकारी है, साथ ही साथ अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से भी यह दिखाने के उद्देश्य के लिए साजिश रची गई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इसमें एक पक्ष था।"

इनमें से ऐसे षड्यंत्रकारी में से किसी एक द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई किसी भी चीज़ का उपयोग करने का प्रश्न तभी सामने आएंगे जब तथ्य खंड के पहले अंग को बनाए रखने में मदद करेंगे। अर्थात यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर अपराध करने की साजिश रची है। जब तक अदालत के पास यह विश्वास करने के लिए कुछ सामग्री कि प्रतिवादी धारा के पहले अंग में उन व्यक्तियों में से एक है जिन्हें संदर्भित किया गया है, जहाँ तक इस मामले में साजिश का सवाल है, उसने जो कहा था, किया था या लिखा था, उसके लिए कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक षड्यंत्रकारी के खिलाफ एक प्रासंगिक तथ्य अदालत के लिए खुला है कि वह आरोपी के बीच सामान्य इरादे के संदर्भ में कहा, किया या लिखा होगा, इस से संबंधित सामग्रियों पर विचार कर सके कि इसके लिए उचित आधार है या नहीं। यह विश्वास करने के लिए उचित आधार कि उक्त अभियुक्त इनमें से एक रहा होगा। राज्य बनाम नलिनी, [1999] 5 एस.सी.सी. 253 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के पहले अंग के संबंध में इस प्रकार कानूनी स्थिति बताई हैः

"पहली शर्त जो उस प्रावधान का लगभग प्रारंभिक ताला है,
यह विश्वास करने के लिए उचित आधार का अस्तित्व है कि

साजिशकर्ताओं ने एक साथ साजिश रची है। इस शर्त को तब भी पूरा किया जाएगा जब यह दिखाने के लिए कुछ प्रथम दृष्टया सबूत हों कि ऐसी आपराधिक साजिश थी। यदि उपरोक्त प्रारंभिक शर्त पूरी हो जाती है तो साजिशकर्ताओं में से एक द्वारा कही गई कोई भी बात दूसरे के खिलाफ ठोस सबूत बन जाती है, बशर्ते कि वह 'उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में' बयान होना चाहिए था। अंग्रेजी कानून में संबंधित प्रावधान के तहत उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'आगे बढ़ाने में' है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में' शब्द सरदार द्वारा अंग्रेजी कानून में उपयोग किए गए शब्दों की तुलना में व्यापक हैं।सरदूल सिंह कवीशर बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर (1965) एस.सी 682)"

तो अब हमें जो विचार करना है वह यह है कि क्या सामग्री इस धारणा की संभावना को दिखाने के लिए पर्याप्त है कि "विश्वास करने के लिए उचित आधार है" कि प्रतिवादी जयललीता भी कम से कम साजिशकर्ताओं में से एक होतीं, अगर वह इसकी मुख्य सूत्रधार नहीं होतीं।

उपरोक्त संदर्भ में दूसरे द्वारा धारण किए गए पद पर ध्यान देना उपयोगी है। जिन व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अदालत ने आपराधिक

साजिश के अपराध के लिए उसी मामले में आरोप तय किया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान में उनमें से प्रत्येक को आवंटित रैंक के संदर्भ में उन्हें दिखाया जा सकता है। ए-2 प्रत्यर्थी जयललीता के मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी से संबंधित विभाग के मंत्री थे। ए-3 मुख्य सचिव थे, ए-4 बिजली बोर्ड के अध्यक्ष थे, ए-5 और ए-6 क्रमशः वित्त और उद्योग विभागों में तमिलनाडु सरकार के सचिव थे। ए-7, ए-8 और ए-9 बिजली बोर्ड के सदस्य थे और ए-10 बिजली बोर्ड (कोयला शाखा) के मुख्य अभियंता थे।

श्री शांति भूषण ने कहा कि उपरोक्त अधिकारियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष, सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी के बिना विशेष रूप से विचित्र स्थापना के कारण तमिलनाडु सरकार के शानदार कोष, को हडपने के लिए आपराधिक साजिश रचने का सपना भी नहीं देखा होगा। प्रतिवादी द्वारा व्यवस्थित मंत्रिस्तरीय नेटवर्क से उपर इसके लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने जिस पहली परिस्थिति पर प्रकाश डाला है वह प्रतिवादी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालने के लगभग तुरंत बाद जारी किया गया था। उक्त सरकारी आदेश में बताया गया कि राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुबंधों और निविदाओं के निपटान और खरीद के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं थी, और इसलिए यह आवश्यक माना गया कि ऐसी निविदाओं और अनुबंधों की मंजूरी से पहले उचित जांच की जाए। इसलिए सरकार ने आदेश दिया कि सभी निविदाओं

और सभी खरीद के संबंध में " जहां अनुबंध का मूल्य एक करोड रूपए से अधिक है" सरकार की पूर्व मंजूरी ली जानी चाहिए। इसलिए यह निर्देश दिया गया कि फाईल को उचित जांच और पूर्व अनुमोदन के लिए संबंधित मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।

अगली परिस्थिति में डी.ओ. का पत्र है जो स्वयं उत्तरदाता ने तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) को संबोधित किया था। एक पत्र दिनांक 8.10.1991 को ऑस्ट्रेलिया से सात लाख टन कोयले के आयात की अनुमति के लिए भेजा गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने निम्नलिखित को इंगित करते हुए उन्हें भारत के बाहर से कोयला खरीदने से हतोत्साहित किया।

> "कोल इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार, इन बिजली स्टेशनों के पास अक्टूबर '91 के अंत में 7 लाख 95 हजार टन कोयले का भंडार था, जबकि मार्च' 91 के अंत में यह 0.44 लाख टन था, मुझे यह भी बताया गया कि बडे पैमाने पर होने के कारण स्टॉक, टी.एन.ई.बी. कार्यक्रम के अनुसार पारादीप, विशाखापत्तनम और हल्दिया बंदरगाहों से कोयला नहीं उठा रहा है। इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि टी. एन. ई. बी. के पास वर्तमान में किसी भी कोयले के आयात का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें अच्छी से जमा करने की

सलाह दी जाएगी कि जितना संभव हो उतना स्वदेशी कोयला जमा करें ताकि इस व्यस्त मौसम के दौरान उनके पास आरामदायक स्टॉक हो।''

प्रतिवादी यही नहीं रुकी और उसने एक डी. ओ. को संबोधित किया। प्रधानमंत्री को दिनांकित 30.7.1992 का पत्र जिसमें उनसे प्रधानमंत्री को उपरोक्त विद्युत बोर्ड को "एक बार के उपाय के रूप में, आपातकालीन आधार पर आयात शुल्क से मुक्त" दस लाख टन कोयला आयात करने के लिए विशेष अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र का उल्लेख करते हुए, जो प्रतिवादी ने प्रधानमंत्री को संबोधित किया है, केंद्रीय कोयला मंत्री ने उन्हें 29.9.1992 को एक जवाब लिखा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि टी. एन. ई. बी. के तीन ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडार की स्थिति काफी आरामदायक थी। उनके द्वारा एक चार्ट दिया गया था जिसमें तीन अलग-अलग बिजली स्टेशनों पर स्टॉक दिखाया गया था। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने प्रतिवादी को कोयले के आयात के खिलाफ सलाह दी।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी इसके खिलाफ कड़ी सलाह के बावजूद कोयले के आयात पर जोर दे रहा था। हालाँकि, जो लोग इस तरह के आयात का विरोध करते थे, वे भी बाद में उनके आग्रह के आगे झुक गए। फिर भी केंद्र सरकार ने एक शर्त रखी है कि इस तरह के आयात को केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। यह उपरोक्त सामग्री के मद्देनजर

था कि अगली परिस्थिति प्रतिवादी के खिलाफ पेश की गई थी क्योंकि वह उक्त शर्त का भी पालन करने के लिए सहमत नहीं थी और केंद्र के माध्यम से नहीं बल्कि राज्य के माध्यम से सीधे कोयले का आयात करने का निर्णय लिया गया था।

श्री शांति भूषण ने हमारा ध्यान विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को अपने संबोधित पत्र दिनांक 26.5.1993 के पत्र के अनुसार, कोयला आयात के प्रस्ताव की निंदा करने के लिए, श्री वी. सुंदरम (पीडब्ल्यूडी सचिव) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मजबूत भाषा की ओर आकर्षित किया, जिसकी प्रतियां विद्युत बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजी गई है। उक्त पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैंः

> "यह सवाल मुझे चकित करता है कि दो इंडोनेशियाई स्रोत, जिनके मूल प्रस्तावों में अधिकतम सी. वी. 6000 निर्धारित है, टी. एन. ई. बी. की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, जिनकी सी. वी. की न्यूनतम शर्त 6000 है। वास्तव में इन 2 इंडोनेशियाई आपूर्ति स्रोतों के विनिर्देश टी. एन. ई. बी. निविदा विनिर्देश से बहुत अलग हैं। इतने सारे महत्वपूर्ण तत्वों में उन्हें एक सरसरी रूप के योग्य भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।"

अपने पत्र में तालिका देने के बाद श्री वी. सुंदरम ने आगे कहा कि "वास्तव में उच्च आर्द्रता और उच्च वाष्पशील पदार्थ को इन दो इंडोनेशियाई स्रोतों को समाप्त करना चाहिए। मुझे सलाह दी गई है कि हाई टोटल मॉइस्चर और हाई वोलेटाइल मैटर का संयोजन घातक साबित हो सकता है और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गयाः

> "ये केवल कुछ बिंदु हैं जो मेरे दिमाग में तुरंत आते हैं। कुल मिलाकर, जिस तरह से यह निविदा जारी और संसाधित की गई है, उससे मैं बहुत असहज हूं। मुझे छिपी हुई बेचैनी महसूस हो रही है कि हम एक दिन एक और फूल की खोज करेंगे जो अनुचित सार्वजनिक विवाद के अलावा टी. एन. ई. बी. और सरकार को लंबे कानूनी झगड़ों और भारी नुकसान में शामिल करने के अलावा हम सभी को काफी शर्मिंदगी में ले जा सकता है"।

दिनांक 18.06.1993 को कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव ने बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के साथ-साथ श्री वी. सुंदरम को एक तत्काल पत्र भेजा। संचार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "तमिलनाडु बिजली स्टेशनों के पास उपलब्ध कोयले के पर्याप्त भंडार को देखते हुए कोयले के आयात का कोई

औचित्य नहीं है। इसके अलावा कोयले के आयात की समय सीमा सितम्बर 1993 को समाप्त हो रही है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इन कुछ महीनों के भीतर आयात कैसे हुआ। मेरो अनुरोध है कि सितम्बर 1993 के बाद रियायती शुल्क सुविधा के किसी भी विस्तार का विरोध किया जाए। मुझे सूचित किया गया है कि निविदा विनिर्देशों को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह घरेलू उत्पादकों को बोली लगाने से बाहर कर देगा। यदि यह सच है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कृपया इस बात की सराहना करें कि घरेलू उत्पादकों को निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी अवसर देने के लिए रियायती शुल्क पर कोयले का आयात की अनुमति दी गई है"।

सरकार के संयुक्त सचिव श्री रामचंद्रन ने अपने दिनांक 22.06.1993 के नोट में उक्त निविदाओं को स्वीकार करने के खिलाफ दृढ़ता से लिखा। पूरे नोट को निकालना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव के खिलाफ चेतावनियों से भरा हुआ है। फिर भी हम केवल सबसे प्रासंगिक भाग निकाल सकते हैंः

"ऐसी आशंका है कि फलैग ए के पेज 39 पर अनुबंध 6 के तहत तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी द्वारा निविदा प्रस्ताव की

वर्तमान सिफारिश के कारण तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को 8,64,93,100 रूपये का अतिरक्त खर्च करना पडा है। इसके अलावा, इंडोनेशियाई कोयला खराब है और मिल में आग लगने का कारण बन सकता है।"

उपरोक्त टिप्पणी को श्री सुंदरम ने अपने दिनांकित 23.6.93 के नोट में निम्नलिखित लिखकर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है।

"मैंने मंत्री (पीडब्ल्यूडी) को कठिनाइयों के बारे में बताया है। निविदा प्रस्ताव को विभिन्न कारणों से बोर्ड वापस किया जा सकता है जैसे कुछ फर्मो को निविदा के बाद स्पष्टीकरण के साथ प्रवेश देना और अन्य दुर्बलताओं के अलावा उन्हें मात्रा के आवंटन का प्रस्ताव देना।"

यह इंगित करना उचित है कि उपरोक्त सामग्री वर्तमान फाइल में शामिल हैं जो प्रितवादी को प्रस्तुत की गई थी। प्रितवादी के लिए एेसा कोई मामला नहीं है कि उपरोक्त उस फाइल में नहीं थे जब उसने इसकी जांच की और न ही किसी का मामला है कि उन चेतावनियों को केवल लापता में शामिल किया गया था। यदि प्रितवादी को उन त्वरित चेतावनियों के बारे में पता चला और इसके बावजूद उन्होंने कोयले के आयात के लिए अपनी हरी झंडी दे दी, इस समय से पहले यह निष्कर्ष

कैसे निकाला जा सकता है कि उन्हें राज्य के खजाने पर गुप्त सौदे के गंभीर प्रभावों के बारे में पता नहीं था।

हम फिर से दोहराते हैं कि इस स्तर पर हम इस धारणा पर आगे बढ़ रहे हैं कि आई. पी. सी. की धारा 409 और पी. सी. अधिनियम की धारा 30 (2) के तहत अपराध करने के लिए एक आपराधिक साजिश थी, क्योंकि निचली अदालत ने इसके खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया है, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल है जो प्रतिवादी के अधीन काम कर रहा था। श्री सुशील कुमार ने तर्क दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि उन्होंने टिप्पणियों में उन हिस्सों को पढ़ा होगा। वैकल्पिक रूप से उन्होंने तर्क दिया कि भले ही उन्होंने उन टिप्पणियों को पढ़ा हो, उन्हें उसी वर्तमान फाइल में प्रस्तुत किए गए बाद के टिप्पणी के बल पर अनुमति देने के लिए राजी किया गया होगा।

दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने तर्क दिया कि यह असंभव है कि मुख्यमंत्री उपरोक्त सामग्री से चूक गए होंगे, विशेष रूप से जब यह उनकी सरकार थी जो जी. ओ. दिनांक 6.11.1991 के माध्यम से चाहती थी कि सभी एक करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किसी भी उद्यम के संबंध में फाइलों को "उचित जांच" के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। उक्त जी. ओ. इस विचार के साथ जारी

किया गया था कि मुख्यमंत्री की विशिष्ट जांच और पर्यवेक्षण के बिना कोई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यदि मुख्यमंत्री ने श्री वी. सुंदरम के पूरे नोट को पढ़ा है तो उन्हें संतोषजनक रूप से सामने रखना चाहिए कि इस तरह की चेतावनियों के बावजूद वह आश्वस्त थीं कि सौदा वास्तविक था और राज्य के सर्वोत्तम हित में था। या उन्होंने उक्त सचिव के साथ उन बिंदुओं पर चर्चा की थी और उनके पास आपत्तियों को खारिज करने के लिए अच्छे कारण थे। हम उक्त तर्क में बल पाते हैं कि जब तक प्रतिवादी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करती है तब तक अदालत यह मान सकती है कि वह राज्य के खजाने पर सौदे के गंभीर परिणामों से अवगत थी, जैसा कि उक्त पीडब्ल्यूडी सचिव बताया था। अदालत इस स्तर पर यह भी मान सकती है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में परिकल्पित साजिश में शामिल थी।

प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया गया है कि जब "वर्तमान फाइल" मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिवादी के पहुंची तो उनमें से संबंधित पत्रक वहां से गायब थे और इसलिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों द्वारा लगाए गए नवीनतम नोट पर कार्रवाई की। विभाग का जिस पर वी. सुंदरम ने

7.7.1993 पर जवाबी हस्ताक्षर किए थे। उक्त पर पक्षकार विद्वान वकील ने तर्क दिया-एक षड्यंत्रकारी मुख्यमंत्री को अंधेरे में क्यों रखा जाना चाहिए; पृष्ठों को बिल्कुल भी क्यों हटाया जाना चाहिए और यदि प्रतिवादी एक सह-साजिशकर्ता था तो फाइल को फिर से नंबर क्यों दिया जाना चाहिए?

श्री शांति भूषण ने हमारा ध्यान 13.12.1996 को संहिता की धारा 161 के तहत श्री वी. सुंदरम के दर्ज किए गए बयान की ओर आकर्षित किया जिसमें उन परिस्थितियों के विवरण का विवरण है जिसमें उन्हें मुख्य सचिव (ए 3) सहित अन्य विभागीय प्रमुखों द्वारा तैयार किया गया एक नोट पर हस्ताक्षर करना पडा था। वी. सुंदरम के उक्त कथन में "शशिकला" नाम की एक महिला की आक्रामक और कठोर भूमिका का उल्लेख किया गया है और उन्हें धमकी दी गई थी कि अगन वह कोयला आयात के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए अपने विरोध पर कायम रहेंगे तो उन्हें टुकडे-टुकडे कर दिया जायेगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करेगा कि उक्त शशिकला प्रतिवादी की सरोगेट थी और प्रसांगिक समय के दौरान उस पर काफी प्रभाव डाला था।

हम उपरोक्त विवाद से निपटने से बचना चाहेंगे, ऐसा न हो कि हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी मामले के एक या दूसरे पक्ष के लिए हानिकारक साबित हो। फिर भी, यह अभियोजन पक्ष को बताना है कि कैसे

कुछ प्रासंगिक पत्र गायब पाए गए और क्या प्रतिवादी के पास इस बात का कोई ज्ञान था और यह भी कि प्रतिवादी को उन्हें क्यों हटवाना चाहिए था। यह सामग्री के सभी प्रभावों के फायदे और नुकसान का आकलन करने का चरण नहीं है और न ही अीभयोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री की छान-बीन करने का चरण है। इस स्तर पर अभ्यास पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि क्या आरोपी के खिलाफ आरोप "निराधार" हैं या क्या "यह मानने के लिए आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है। उसमें मौजूद धारणा का अभियुक्त द्वारा हमेशा खंडन किया जा सकता है, जिसके लिए इसमें भाग लेने का अवसर होना चाहिए।

उपरोक्त सभी कारणों से हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अदालत ने अन्य नौ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में समयपूर्व चरण में प्रतिवादी को आरोपमुक्त नहीं किया होगा और नहीं करना चाहिए था।

इसलिए, हम प्रतिवादी जे. जयललीता को आरोपमुक्त करने वाले विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार करते हैं, जिसने उक्त आदेश की पुष्टि की थी। हम विशेष न्यायाधीश को प्रतिवादी के खिलाफ आरोपियों में से एक के रूप में आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा पहले से ही जांचे गए गवाहों

के संबंध में हम अभियोजन पक्ष को अनुमति देते हैं कि वह इस मामले में दर्ज साक्ष्य के हिस्से के रूप में पहले से की गई परीक्षा-मुख्य-परीक्षा का बर्ताव सभी अभियुक्तों के साथ करे। अभियोजन पक्ष उन गवाहों से कोई और सामग्री प्राप्त कर सकता है और उन्हें मुख्य परीक्षा के शेष भाग के रूप में दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद प्रतिवादी को ऐसे गवाहों से जिरह करने का पूरा अवसर मिलेगा जैसे कि पूरी मुख्य परीक्षा उसके साथ आरोपी के श्रृख्ला पर आयोजित की गई थी। यह प्रावधान हमारे द्वारा पहले से दर्ज साक्ष्य को फिर से दर्ज करने में अनावश्यक देरी और पुनरावृत्ति बचने के लिए किया गया है। ऐसे गवाहों से पूछताछ पूरी होने पर अभियोजन पक्ष किसी भी शेष गवाह से पूछताछ कर सकता है। इसके बाद, मुकदमा कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

यदि प्रतिवादी जयललीता निचली अदालत में अपनी उपस्थिति छूट देने की अनुमति मांगती हैं तो उनके लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष इसके लिए आवेदन दायर करने की अनुमति है। विशेष न्यायाधीश उसे अपनी याचिका दर्ज करने के बाद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैः

(1) जब भी मामला उठाया जाता है तो उसकी ओर से एक वकील अदालत में उपस्थित रहेगा।

(2) वह मामले में विशेष आरोपी के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगी

(3) वह किसी भी दिन उपस्थित होगी जब अदालत को उनकी उपस्थिति की आवश्यकता यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वह उपरोक्त में से किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहती है तो विशेष न्यायाधीश के पास उसे दिए गए उपरोक्त लाभ को रद्द करने का अधिकार है।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धर्मवीर सिंह रूलानिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |